

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council-UNSC)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व UNSC में

परिचय

- संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक; संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में स्थापित

मुख्यालय

- न्यूयॉर्क सिटी

पहला सत्र

- 17 जनवरी, 1946 को चर्च हाउस, वेस्टमिंस्टर, लंदन में

सदस्यता

- 15 सदस्य- 5 स्थायी सदस्य (P5), 10 गैर-स्थायी सदस्य दो साल के कार्यकाल के लिये चुने गए (प्रत्येक वर्ष 5 का चुनाव किया जाता है)
- P5- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन

UNSC की अध्यक्षता

- 15 सदस्यों के बीच प्रत्येक माह बारी-बारी से
- वर्ष 2022 के लिये भारत की अध्यक्षता-दिसंबर

मतदान शक्तियाँ

- 1 सदस्य = 1 मत/वोट
- P5 देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है वीटो पावर है
- UN के ऐसे सदस्य जो UNSC के सदस्य नहीं हैं, मतदान के अधिकार के बिना इसके सत्र में भाग लेते हैं

UNSC समितियाँ/प्रस्ताव

- आतंकवाद:
 - संकल्प 1373 (आतंकवाद रोधी समिति)
 - संकल्प 1267 (दाएश और अल कायदा समिति)
- अप्रसार समिति:
 - संकल्प 1540 (परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के विरुद्ध)


भारत और UNSC

- गैर-स्थायी सदस्य के रूप में 7 बार सेवा; 2021-22 में 8वीं बार चुना गया; स्थायी सीट की मांग
- स्थायी सीट के लिये तर्क:
 - 43 शांति मिशन
 - मानवाधिकार घोषणा (UDHR) को तैयार करने में सक्रिय भागीदारी
 - भारत की जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक प्रणाली आदि।

G4- चार देशों (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) का समूह जो UNSC में स्थायी सीटों के लिये एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं

United Nations Security Council

Composition through 2022



“मतेवयु के लिये मिलकर काम करना” आंदोलन (Uniting for Consensus-UfC Movement)

- अनौपचारिक रूप से इसे कॉफी क्लब के रूप में जाना जाता है
- देश UNSC स्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करते हैं
- समूह के प्रमुख देश-इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान
- इटली और स्पेन जर्मनी की दावेदारी का; पाकिस्तान- भारत की दावेदारी का; अर्जेंटीना-ब्राजील की दावेदारी का और ऑस्ट्रेलिया-जापान की दावेदारी का विरोध कर रहे हैं

UNSC के समक्ष बड़ी चुनौतियाँ

- संयुक्त राष्ट्र के सामान्य नियम UNSC विचार-विमर्श पर लागू नहीं होते हैं; बैठकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है
- UNSC में पावरप्ले; P5 की अराजकतावादी वीटो शक्तियाँ
- P5 के बीच गहन ध्रुवीकरण; लगातार मतभेद प्रमुख निर्णयों को अवरुद्ध करता है
- विश्व के कई क्षेत्रों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व